गांव स्वास्थ्य व स्वच्छता कमेटी

सूचना पुस्तिका

IRRAD™

INSTITUTE OF RURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT
(An initiative of S M Sehgal Foundation)

इन्स्टीट्यूट ऑफ रूरल रिसर्च एण्ड ड्वलपमेन्ट
(एस.एम.सहगल फाउंडेशन का प्रयास)

प्रस्तावना

यह सूचना पुस्तिका IRRAD (इन्स्टीट्यूट ऑफ रूरल रिसर्च एण्ड डूवलपमेन्ट) गुड़गांव के क्षमता विकास केन्द्र द्वारा प्रकाशित की जा रही है। यह प्रयास राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रस्तावित गांव स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कमेटी पर भारत सरकार व हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर प्रस्तावित दिशा निर्देशों का संकलन है। वास्तव में गांव स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कमेटी के उद्देश्य व कार्य प्रणाली पर हिंदी में विस्तृत सामग्री का आभाव था। उम्मीद है इराद की क्षमता विकास केन्द्र की टीम का यह सांझा प्रयास इस आभाव की पूर्ति कर सकेगा।

पुस्तिका 6 खण्डों में विभाजित है।

खंड 1 : गांव स्वास्थ्य व स्वच्छता कमेटी क्या है, इस कमेटी की आवश्यकता क्यों पड़ी यह कमेटी किस तरह से बनाई जायेगी अर्थात इसके सदस्य कौन-कौन लोग होंगे तथा यह कमेटी किस प्रकार कार्य करेगी। इन सब विषयों की जानकारी समाहित है।

खंड 2 : एक गांव के स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक तत्वों के बारे में बताया गया है।

खंड 3 : सरकार द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य से सम्बंधित सेवाओं के ढांचे की जानकारी दी गई है।

खंड 4 : वर्तमान में सरकार द्वारा समुदाय के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

खंड 5 : गांव के लोगो के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में है।

खंड 6 : गांवों में आमतौर से होने वाली बिमारियों के बारे में व उनसे बचाव के तरीकों से सम्बंधित महत्वपूर्ण ज्ञान समाहित है।

देश के ग्रामीण आंचल के स्वास्थ्य निमार्ण के कार्यो में संलग्न सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को यह पुस्तिका समर्पित है। विश्वास है कि इराद का यह प्रयास इन सभी कार्यकर्ताओं की उनका वृहत् उद्देश्य पूर्ण करने में कुछ सहयोग करेगा।

आभार

इस सूचना पुस्तिका की सामग्री जुटाने में IRRAD की 'क्षमता विकास केन्द्र' की टीम ने अथक प्रयास किया है। इस टीम के सभी सदस्य साधुवाद के पात्र है। राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन के नई दिल्ली स्थित नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेन्टर के श्री पदम खन्ना व श्री अरूण श्रीवास्तव ने इस विषय पर महत्वपूर्ण तकनीकि जानकारी उपलब्ध करवाई। इन्हे हमारा हार्दिक धन्यवाद।

इराद की क्षेत्रीय टीम ने गांव स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कमेटी पर जारी संशोधित दिशा निर्देशो की जानकारी करवाई। क्षेत्रीय टीम के सभी सदस्य के हम आभारी हैं।

तालिका

खंड		पृष्ठ संख्या
खंड–1	गांव स्वास्थ्य व स्वच्छता कमेटी	1 - 7
खंड–2	स्वस्थ गांव	8 - 10
खंड–3	भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का वर्तमान ढांचा	11 - 15
खंड–4	सरकार द्वारा चलाये जा रहे प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम	16 - 23
खंड–5	जन्म–मृत्यु पंजीकरण	24 - 26
खंड–6	स्वास्थ्य सम्बंधी कुछ जानकारियाँ	27 - 33

खंड 1

गांव स्वास्थ्य व स्वच्छता कमेटी

क्या है गांव स्वास्थ्य व स्वच्छता कमेटी ?

भारत सरकार के कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य में सुधार के लिए गांव स्वास्थ्य व स्वच्छता कमेटी एक गांव के ऐसे लोगों का समूह है जो यह समझते हैं कि बेहतर या अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति के सम्पूर्ण विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस कमेटी में वह लोग होते हैं जो अपने लिए व अपने गांव के लिए बेहतर जीवन स्तर चाहते हैं।

हर 1000 से 1500 की आबादी वाले गांव में एक ग्राम स्वास्थ्य कमेटी बनाई जाती है। इस कमेटी को सरकार की तरफ से हर वर्ष 10,000/– रूपये मिलते है ताकि कमेटी अपने गांव में स्वास्थ्य रक्षा के लिए कार्यवाही कर सके।

इस कमेटी का हिस्सा ऐसे लोग होते हैं जिन पर गांव के लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेवारी है। इस कमेटी के सदस्य अपने गांव को इस तरह परिवर्तित करते हैं जिससे उनका गांव प्रसन्नता पूर्वक रहने के योग्य स्थान बन सके। ऐसे लोग अपनी तथा दूसरों के स्वास्थ्य की देखभाल समझदारी से व मिलजुल कर करते है।

यह कमेटी सुनिश्चित करती है कि सरकार की स्वास्थ्य संबंधी सभी सेवाओं का फायदा व पहुंच गांव के सभी लोगों विशेषकर वंचित तबके तक पहुंचे।

कैसी होती है गांव स्वास्थ्य व स्वच्छता कमेटी की संरचना ?

गांव स्वास्थ्य व स्वच्छता कमेटी महिला व बाल स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहले से गठित की गई "गांव स्तरीय कमेटी" का हिस्सा होगी क्योंकि ये दोनों कमेटियां सदस्यों व उद्देश्यों के अनुसार एक ही है। समिति में इतने सदस्य होने चाहिए जिससे गांव समुदाय के सभी समूहों को प्रतिनिधित्व मिल सके और कमेटी के सदस्यों की संख्या इतनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि यह संगठित न रह सके। हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार इस कमेटी में करीब 20 सदस्य होने चाहिए। इन में से कुछ सदस्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले होने चाहिए। कमेटी के कुल सदस्यों में से आधे सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति व अल्पसंख्यक वर्ग से होने चाहिए। गांव में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी जैसे स्कूल अध्यापक, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एमपीडब्ल्यू (फीमेल) तथा दाई भी कमेटी में शामिल होते हैं। सरकारी कर्मचारियों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

कमेटी के सदस्य

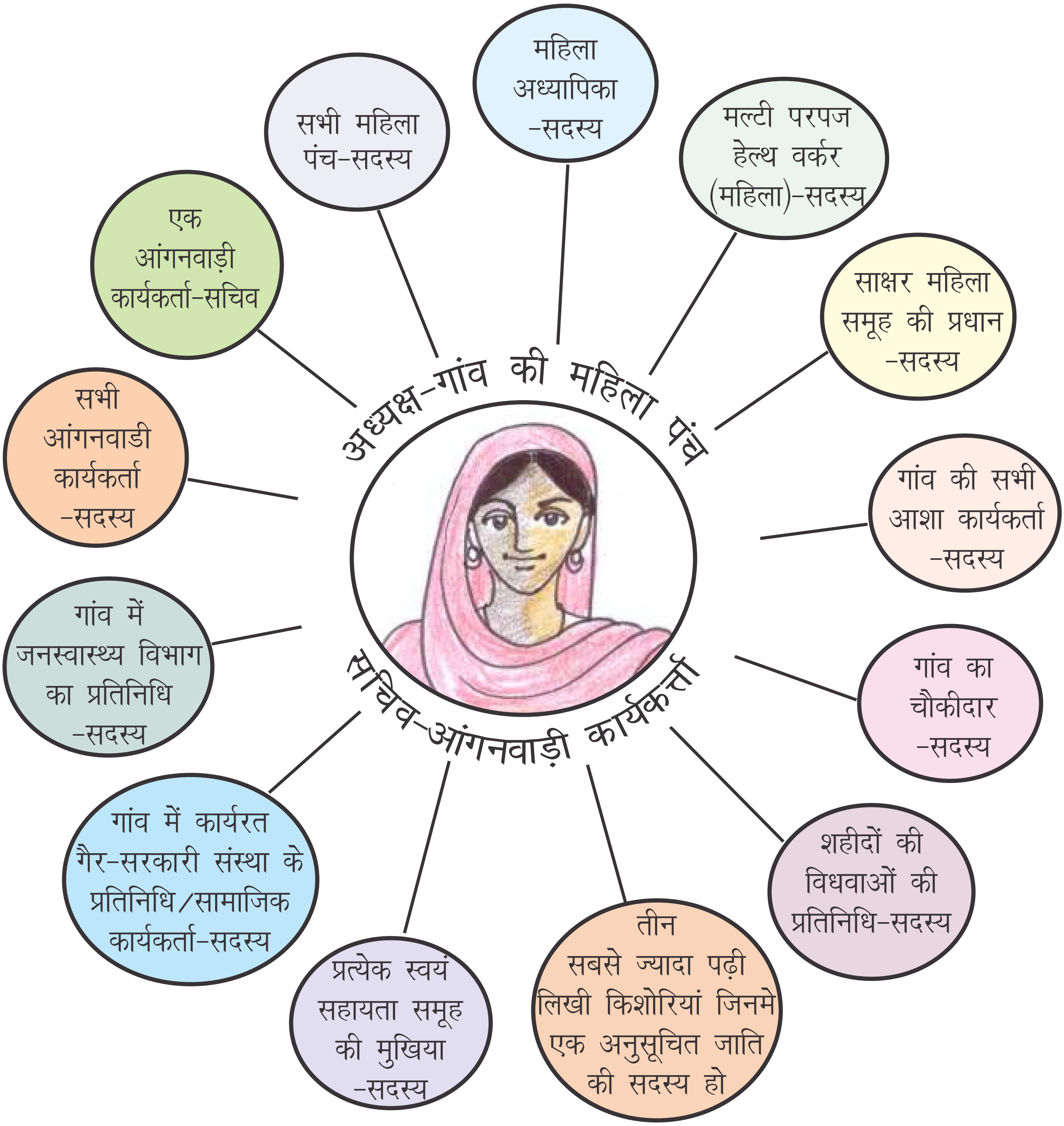

अध्यक्ष-गांव की महिला पंच
सचिव-आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
महिला अध्यापिका -सदस्य
सभी महिला पंच-सदस्य
मल्टी परपज हेल्थ वर्कर (महिला)-सदस्य
एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-सचिव
साक्षर महिला समूह की प्रधान -सदस्य
सभी आंगनवाडी कार्यकर्ता -सदस्य
गांव की सभी आशा कार्यकर्ता -सदस्य
गांव में जनस्वास्थ्य विभाग का प्रतिनिधि -सदस्य
गांव का चौकीदार -सदस्य
गांव में कार्यरत गैर-सरकारी संस्था के प्रतिनिधि/सामाजिक कार्यकर्ता-सदस्य
शहीदों की विधवाओं की प्रतिनिधि-सदस्य
प्रत्येक स्वयं सहायता समूह की मुखिया -सदस्य
तीन सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी किशोरियां जिनमे एक अनुसूचित जाति की सदस्य हो

क्या करती है ग्राम स्वास्थ्य व स्वच्छता कमेटी ?

कमेटी का मुख्य लक्ष्य अपने गांव के लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल-देखरेख करना है। गांव को ऐसा स्वरूप देना है जिसमें उसका हर एक व्यक्ति सुख, शांति और समृद्धि से रह सके। कमेटी लोगों के बीमार पड़ने का इंतजार नहीं करती। यह कमेटी लोगों को यह महसूस करवाती है कि यदि वे बचाव के उपायों पर अमल करें तो वे बहुत सी बिमारियों और तकलीफों से बच सकते हैं वह बीमारी शुरू होने से पहले ही उसे रोकने की कोशिश करती है। वह लोगों को प्रेरणा देती है कि वे अपने स्वास्थ्य की देखभाल आज करें ताकि भविष्य में वे स्वस्थ रह सकें।

गांव स्वास्थ्य व स्वच्छता कमेटी अपने गांव के स्वास्थ्य के सामाजिक मापदंड निर्धारित करेगी व उनकी सूची बनाएगी। मसलन स्वस्थ रहने के लिए गांव को किस स्थिति में रखना आवश्यक है। जैसे गांव की किसी भी गली में घरों का गन्दा पानी नहीं आयेगा, गांव में कूड़े करकट के ढ़ेर एक जगह ही होंगे, सारे बच्चों का टीकाकरण करवाया जाएगा, पीने के पानी के स्रोत को हर वक्त साफ रखना इत्यादि।

एक गांव की स्वास्थ्य व स्वच्छता कमेटी गांव को स्वस्थ और बेहतर बनाने के लिए हर प्रयत्न करती है। इसके कार्यो को मुख्य रूप से चार भागों में बाटा जा सकता है। ये हैंः सूचना, निगरानी, कार्यवाही व स्वास्थ्य योजना का निर्माणः

1. **गांव के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम बनानाः**
   गांव के स्वास्थ्य व स्वच्छता के स्तर को देखते हुए यह कमेटी गांव के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम बनाती है। कमेटी गांव में संभावित बिमारियों की रोकथाम के लिए योजना बनाती है जिससे उनके गांव में बिमारियां न फैले व लोग बेहतर जीवन स्तर की ओर अग्रसर हो सकें।
2. सरकार द्वारा चलाये जा रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों को उप स्वास्थ्य केन्द्र के साथ मिलकर गांव में संचालित करना।

1. गांव में प्रतिमाह टीकाकरण कार्यक्रम को संचालित करने के लिए समिति के सदस्य बच्चों के टीकाकरण हेतु प्रचार व टीकाकरण दिवस पर जगह की तैयारी व अभियान को आयोजित करने में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं व स्वास्थ्य दल की मदद कर सकते हैं तथा टीकाकरण के समय बच्चों को एकत्र करने में मदद कर सकते हैं।
2. इसी तरह गांव स्वास्थ्य कमेटी के सदस्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बच्चों के वजन लेने में मदद कर सकते हैं।
3. ये सदस्य रेफरल सेंवाओं तथा बीमार रोगियों के साथ अस्पताल जाने में भी मदद कर सकते हैं।
4. रात के समय आवश्यकता पड़ने पर कमेटी के सदस्य गांव वालों व स्वास्थ्य कर्मचारियों की मदद कर सकते हैं।
5. निर्धारित दिनों पर स्वास्थ्य पोषाहार दिवस मनाने में आशा कार्यकर्ता भी मदद करती है।

3. **जानकारी उपलब्ध करवानाः**

गर्भवती महिलाओं को उनके लिए चलाई जाने वाली सरकारी योजनाओं से अवगत करवाना और इन योजनाओं से लाभ लेने में इन महिलाओं की मदद करना। यह कमेटी लोगों को गांव में कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के बारे में भी जानकारी देती है जिससे उन्हें यह पता चल जाए कि उन्हें इन कार्यकर्ताओं से कौन सी सेवाएं मिल सकती है।

4. **जनस्वास्थ्य गतिविधियांः**

स्वास्थ्य कमेटी अपने स्तर पर गांव की गलियों में पड़े गंदे पानी के निपटान के लिए सोखता गड्ढों का निमार्ण कर सकती हैं। इसी तरह गांव में सफाई बनाए रखने के लिए सार्वजनिक शौचालयों का निमार्ण व उनकी सफाई की जिम्मेवारी का काम अपने हाथ में ले सकती हैं। इन में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैं।

1. गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को प्रसूति के दौरान आपातकालीन स्थिति में यातायात उपलब्ध करवाना।
2. परिवार नियोजन कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना।
3. गावं में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना व प्रतिदिन पेयजल की स्वच्छता के लिए पानी का क्लोरिनिकरण करना।
4. कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए सामुदायिक जिम्मेवारी को बढ़ावा देना। गांव में होने वाली हर नवजात मृत्यु पर चर्चा करना व ऐसा फिर ना हो इसके लिए उचित प्रयास करना।
5. गांव की मुख्य स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं व परेशानियों को उच्च स्वास्थ्य अधिकारियों को बताना व उनसे कार्यवाही के लिए मांग करना।
6. लोगों में जन्म–मृत्यु पंजीकरण को बढ़ावा देना।
7. गांव की महिलाओं व बच्चों के विकास के कार्य करना
8. नवजात शिशुओं का वजन करने में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता की मदद करना।
9. यह कमेटी गावं में गर्भवती महिलाओं एवं माताओं के स्वास्थ्य और पोषण का ब्योरा मदर–ट्रैकिंग नामक रजिस्टर में रखेगी।
10. गांव के स्कूल में बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करना।

5. उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त गांव स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कमेटी यह सुनिश्चित करती है कि उनके गांव के लिए नियुक्त एएनएम अपना निर्धारित कार्य ठीक तरह से करे। यह कमेटी एएनएम को उनकी डयूटि पूरी करने में मदद करती है।

कैसे होता है ग्राम स्वास्थ्य व स्वच्छता कमेटी का संचालन?

बैंक में खाताः यह कमेटी नजदीकी बैंक में अपना खाता खुलवायेगी। कमेटी द्वारा अधिकृत एक महिला पंच तथा एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो कि कन्वीनर (सचिव) भी हैं, बैंक खाते से पैसा निकाल सकती है। खाते से पैसा निकलवाने के लिए कन्वीनर के अलावा शेष दो खातेदारों में से किसी भी एक के हस्ताक्षर जरूरी है। कमेटी द्वारा किये गए खर्च का पूरा लेखा–जोखा कमेटी की हर महीने होने वाली बैठक में प्रस्तुत व पास किया जाएगा।

मीटिंग/बैठकः गांव स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कमेटी महीने के प्रथम बुधवार को मीटिंग करेगी। आपातकालीन स्थिति जैसे बाढ़, गंभीर बीमारी की स्थिति में मीटिंग का आयोजन कभी भी आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। बैठक में पिछले महीने में किए गए कार्यों पर विचार–विमर्श किया जाएगा व आने वाले महीने के कार्यों की योजना बनाई जाएगी।

गांव की सालाना स्वास्थ्य रिपोर्ट ग्राम सभा में प्रस्तुत की जाएगी।

क्या वित्तीय सहायता मिलती है ग्राम स्वास्थ्य व स्वच्छता कमेटी को सरकार की तरफ से ?

1. कमेटी के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कमेटी को प्रति वर्ष 10000/– रूपयों की धनराशि दी जाती है। यह रकम 'गांव स्वास्थ्य व स्वच्छता कमेटी' के खाते में जिले के सिविल सर्जन द्वारा स्थानांतरित की जाती है।

2. इस राशि का प्रयोग समाज में सबसे गरीब व्यक्ति के कल्याण के लिए किया जाएगा या यह पैसा आपातकालीन स्थिति में किसी भी परिवार की मेडिकल सहायता जैसे एम्बुलेंस पर भी खर्च किया जा सकता है।
3. कमेटी के फंड का इस्तेमाल कमेटी की अनुमति के पश्चात ही किया जाएगा।
4. 'गांव स्वास्थ्य व स्वच्छता कमेटी' खर्च की गई राशि के खर्च का ब्योरा एक अलग बही–खाते में रखेगी। कमेटी एक सदस्य को बही–खाता भरने के लिए नियुक्त कर सकती है। उसे इस कार्य के लिए प्रतिमाह 50 रूपये कमेटी के खाते में से दिए जा सकते है।

5. यह कमेटी एक कार्यवाही रजिस्टर में कमेटी के कार्यों का विवरण रखेगी।
6. कमेटी के खातों का सरकारी नियमों के अनुसार ऑडिट होगा।
7. रिकार्ड का यह रजिस्टर ग्राम पंचायत द्वारा कभी भी देखा जा सकता है।
8. कमेटी अपने काम व प्रगति की रिपोर्ट पंचायत की मासिक बैठकों व ग्राम सभा की सालाना बैठक में प्रस्तुत करेगी।

ध्यान दें: गांव स्वास्थ्य व स्वच्छता कमेटी सरकार की तरफ से मिलने वाली राशि के अलावा ज़रूरत पड़ने पर अपनी तरफ से या जनसहयोग से फंड इकट्ठा करके खर्च कर सकती है।

सचिव की जिम्मेवारी:

1. कमेटी की बैठकें नियमित व निर्धारित समय पर बुलाने के लिए सभी सदस्यों को सूचित करना।
2. बैठकों का संचालन करना।
3. बैठकों से सम्बंधित सभी कार्यवाही लिखना।
4. महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ समन्वय करके वर्ष में एक बार कमेटी के हिसाब-किताब की ऑडिट करवाना।
5. कमेटी का पैसा बैंक से निकलवाना।

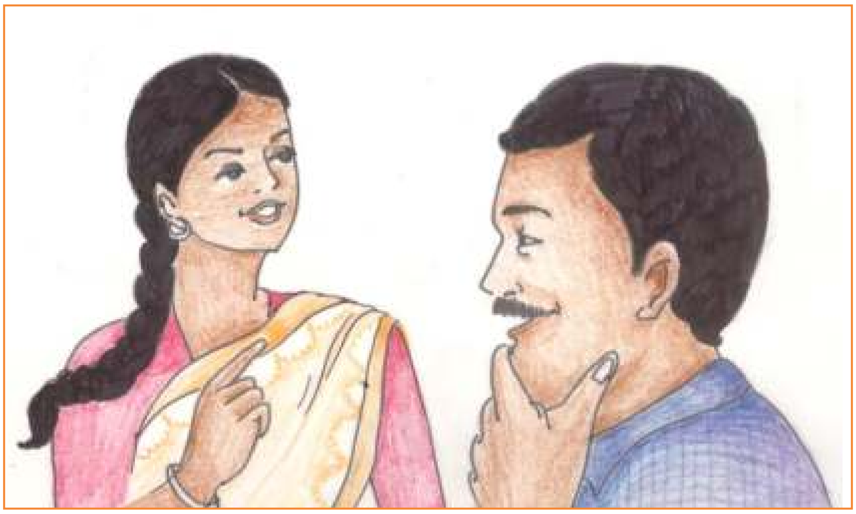

खंड 2

स्वस्थ गांव

किस गांव को एक स्वस्थ गांव कहा जा सकता है? जहां लोग बीमार न पड़ते हों। गांव स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कमेटी का मुख्य उद्देश्य है कि उनके गांव के लोग स्वस्थ रहें। इसके लिए इस कमेटी को नीचे लिखी छः बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तभी उस गांव को स्वस्थ गांव कहा जाएगा।

1. **पीने के पानी का सही रख-रखावः** गांव के लोगों को पीने का साफ पानी मिलना चाहिए। यह तभी संभव है जब पीने के पानी के स्रोत शुद्ध हो। कमेटी अगर इसका प्रबंध ठीक ढंग से नहीं करेगी तो गांव में दस्त या हैजे की बीमारी हो सकती है। अगर यह स्रोत साफ नहीं है तो पानी को उबाल कर पीना चाहिए या उसमें क्लोरीन की गोलियाँ डालनी चाहिए, इसके अलावा समुदाय के लोग यह भी जानते हैं कि पीने का पानी जिस बर्तन में रखा जाता है वह भी साफ होना चाहिए और हमेशा ढक कर रखना चाहिए। इस बर्तन में से पानी लेते समय यह ध्यान रखें कि हाथ पानी से न छुए। यह बहुत जरूरी है। यह बर्तन अगर जमीन से कुछ उपर रहे तो और भी अच्छा होगा।

2. **बेकार पानी की उपयुक्त निकासी :** स्वच्छता कमेटी यह सुनिश्चित करती है कि गांव के घरों से निकलने वाला पानी गलियों में जमा न होने पाए। इस जमा हुए पानी में मच्छर पैदा होते है व इससे गांव में मलेरिया या हाथीपांव जैसे रोग हो सकते हैं। घर के अंदर या बाहर "सोखते गड्ढें" (पिट) इस गंदे पानी के निपटान का सबसे उत्तम उपाय है। यह कमेटी हर घर को ऐसे पिट बनाने के लिए प्रेरित करेगी।

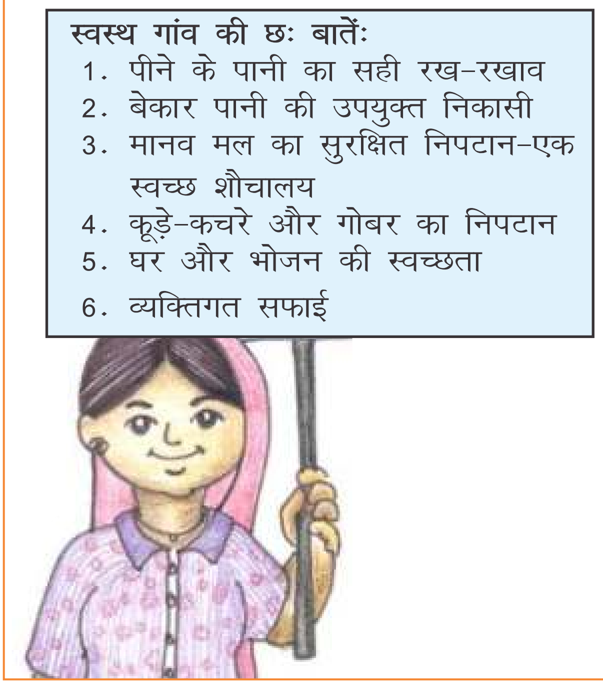

3. **मानव मल का सुरक्षित निपटानः** खुले में शौच जाना बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। इससे दस्त, हैजा, पेचिश, मोतीझरा आदि रोग फैलते हैं। इस कमेटी की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि उनके गांव में हर घर में शौचालय हो अर्थात उनका गांव खुले में शौच जाने से मुक्त हो।

4. **कूड़े-कचरें और गोबर का उचित निपटान :** घरों के चारों ओर व सड़क पर फैले गोबर और कूड़े के ढ़ेर से मक्खियां पैदा होती है व गोबर में टिट्नस के कीटाणु भी पैदा होते हैं। गांव स्वास्थ्य व स्वच्छता कमेटी इस बात का ध्यान रखती है कि उनके गांव में कूड़े व गोबर के ढ़ेर न लगने पाएं।

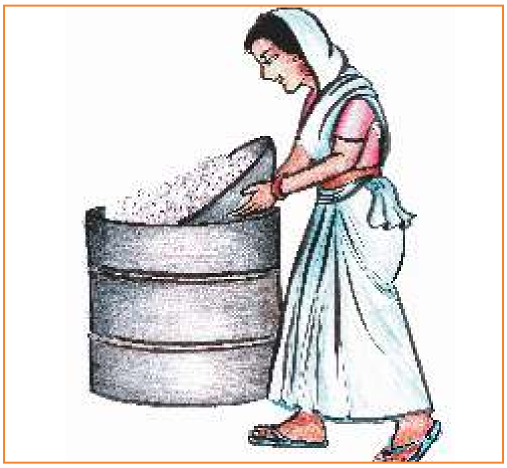

5. **घर और भोजन की स्वच्छता :** केवल घर ही साफ न रहे बल्कि उसके आसपास का वातावरण भी साफ रखने के लिए जरूरी है कि घर के आस-पास कूड़ा-करकट एकत्र न हो व बच्चे घर के बाहर टट्टी न करें। एक स्वस्थ गांव के लोग जानते हैं कि खाना बनाना शुरू करने से पहले, खाना परोसने और खाना खाने से पहले, व शौच जाने के बाद हाथों को साबुन से धोना बहुत महत्वपूर्ण है। यह आदत गांव के हर बच्चे व बड़े में होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त खाना बनाने का स्थान और व बर्तन भी साफ रखना आवश्यक है। घर साफ रहे इसके लिए जरूरी है कि घर में मवेशियों के बांधने का स्थान भी हर वक्त साफ रहे।

6. **व्यक्तिगत साफ-सफाई** : गांव की सफाई के साथ-साथ व्यक्ति की अपनी सफाई (व्यक्तिगत सफाई) भी ज़रूरी है। इसके लिए ये बाते जीवन में अपनाना जरूरी हैः

1. खाना खाने से पहले हाथ साफ करना
2. शौच जाने के बाद हाथ साफ करना
3. नाखून नियमित रूप से काटना
4. बच्चे की टट्टी धोने के बाद साबुन से हाथ धोना
5. नंगे पांव जमीन पर नहीं चलना
6. हर रोज दातुन करना
7. नियमित रूप से नहाना
8. खुले में पेशाब व मलत्याग न करना व खुले में न थूकना

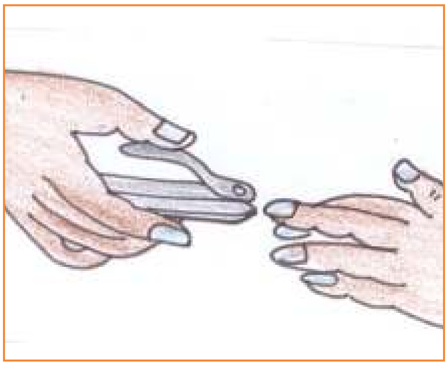

हाथ साफ करने का मतलब है दोनों हाथों को साबुन या राख से अच्छी तरह से धोना।

खंड 3

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का वर्तमान ढांचा

गांव स्वास्थ्य व स्वच्छता कमेटी के सदस्यों को यह जानना ज़रूरी है कि उनके क्षेत्र में स्वास्थ्य की कौन-कौन सी और किस तरह की सेवाएं दी जा रही हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा क्या है, उन्हें देने वाले लोग कौन हैं और कितने हैं? नीचे लिखी जानकारी से कमेटी के लोगों को इन सब बातों का पता चल सकेगा।

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का वर्तमान ढांचा

गांव स्तर पर:

- आशा कार्य कर्त्ता
- आंगनवाड़ी कार्य कर्त्ता
- गांव स्वास्थ्य कमेटी
- हर गांव में आंगनवाड़ी, आशा के पास दवाईयों का किट व रेफरेल चैन

उप स्वास्थ्य केन्द्र

- समुदाय व स्वास्थ्य सेवाओं के बीच पहला संपर्क केन्द्र हैं
- पांच हजार की आबादी पर एक उप केन्द्र
- एक नर्स व एक पुरुष स्वास्थ्य सेवक
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत हर उप केन्द्र पर एक अतिरिक्त नर्स की नियुक्ति अस्थाई रूप से होती है
- एक उप केन्द्र पर जीवन रक्षा के लिए आवश्यक कुछ दवाएं उपलब्ध होती है

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

- किसी डॉक्टर व समुदाय के लोगो के बीच पहला संपर्क केन्द्र
- 30,000 की आबादी या 34 केन्द्रों पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होता है
- एक केन्द्र पर कम से कम एक डॉक्टर व 14 स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता होते हैं जैसे नर्स, व कम्पाउंडर आदि
- इस केन्द्र पर रोगों का उपचार व बचाव की सेवाएं दी जाती है।

सामुदाईक स्वास्थ्य केन्द्र

- एक ब्लाक में सामुदाईक स्वास्थ्य केन्द्र होता है जिसमें 4 चिकित्सा विशेषज्ञ व 21 स्वास्थ्य कर्मचारी होते हैं।
- इस केन्द्र पर 30 रोगियों को भरती करने के लिए बिस्तर होतें हैं व एक्सरे व प्रसूति कक्ष की सुविधा उपलब्ध होती है।

ग्राम स्तरीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता

नर्स (एएनएम): राज्य के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एएनएम की नियुक्ति उप स्वास्थ्य केन्द्र पर की जाती है।

नर्स (एएनएम) के मुख्य कार्यः

- गांव की गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान व प्रसव के पश्चात देखभाल की जिम्मेवारी।
- एएनएम को हर गर्भवती महिला की प्रसव से पूर्व कम से कम चार बार जांच करनी चाहिए।
- जांच में लम्बाई, खून की कमी, वजन व ब्लडप्रेशर की जांच करनी चाहिए।
- जरूरत पड़ने पर एएनएम महिला के खून, पेशाब, व शुगर की जांच की सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए।
- एएनएम की यह जिम्मेवारी है कि वह हर गर्भवती महिला को टी.टी. के दो टीके लगाएं व आयरन की 100 गोलियां उपलब्ध करवाएं।
- संभावित खतरे वाली गर्भवती महिलाओं को सही जगह इलाज के लिए भेजने का प्रबंध करें।
- घर पर होने वाले प्रसवों के लिए एक कुशल दाई का इंतजाम भी एएनएम की जिम्मेवारी है।
- महिला द्वारा मांगे जाने पर गर्भनिरोधक उपलब्ध करवाने की जिम्मेवारी भी एएनएम की है।
- प्रसव के बाद महिला के घर कम से कम दो बार जाए व उसके स्वास्थ्य की जांच करे तथा महिला को जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य पर सलाह दे।
- नवजात शिशुओं व छोटे बच्चों के सभी तरह के टीके लगवाए व विटामिन ए की खुराक दें।
- सुरक्षित गर्भपात की सही जानकारी दे व जरूरत पड़ने पर महिला को सही जगह भिजवाएं।

आशा के प्रमुख कार्य

एक एएनएम पर अपनी क्षमता से अधिक आबादी को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का दबाव था। इसलिए सरकारी स्वास्थ्य विभाग व गांव के लोगो के बीच एक कड़ी के रूप में काम करने के लिए आशा नामक कार्यकर्ता की नियुक्ति की जाती है। आशा महिला कार्यकर्ता है। वह सरकारी अस्पताल व गांव के लोगों के बीच एक कड़ी का काम करती है। यह उसी गांव की रहने वाली होती है। आशा का चुनाव ग्राम सभा में गांव के लोगों द्वारा किया जाता है। गांव की एक हजार के आबादी पर एक आशा का प्रावधान है।

- वह एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है व एएनएम के साथ मिलकर सरकारी सेवाएं गांव के लोगों तक पहुंचाने का काम करती है।
- एएनएम तथा आशा अपनी सेवाओं के लिए किसी तरह की कोई फीस नहीं लेती।
- आशा अपने काम के लिए पंचायत के प्रति जिम्मेवार है।
- आशा आपके गांव की ही रहने वाली 15 से 45 साल के बीच की व आठवीं पास होनी चाहिए।
- आशा का फर्ज है कि व सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी गांव तक पहुंचाए।
- आशा के पास दवाई का एक बक्सा होता है जिससे वह गांव में होने वाली छोटी–मोटी बीमारियों का इलाज करती है।
- वह गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली सरकारी सुविधाएं दिलवाती है व जरूरत पड़ने पर उसे अस्पताल ले जाने का प्रबंध करती है।

आशा के कार्य व उसे मिलने वाला मानदेय

क्र.स.	आशा के पूर्व निर्धारित कार्यक्षेत्र	मानदेय
1.	गर्भवती महिलाओं का पहली तिमाही में प्रसवपूर्व प्रथम जांच (ए.एन.सी.-1) हेतु पंजीकरण तथा जांच करवाना	रू. 50 प्रति ए.एन.सी. पंजीकरण
2.	गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व जांच-2 व जांच-3 (ए.एन.सी.-2, 3)	रू. 25 प्रति ए.एन.सी. जांच
3.	गर्भवती महिलाओं की संस्थागत प्रसूति के लिए प्रेरित/सहायता करना	रू. 200 प्रति संस्थागत प्रसूति
4.	प्रसव उपरांत पूर्ण जांच (पी.एन.सी.) (एच.बी.पी.एन.सी.) केसों के अतिरिक्त	रू. 250 प्रति जांच
5.	जच्चा-बच्चा की घर पर देखभाल कार्यक्रम (एच.बी.पी.एन.सी.) के अंतर्गत	रू. 250 प्रति केस
6.	सामान्य प्रतिरक्षण/टीकाकरण कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य बच्चों का पूर्ण प्रतिरक्षण/टीकाकरण (0 से 1 माह तक)	रू. 200 प्रति केस
7.	कुपोषित बच्चों की पहचान (6 से 18 माह)/गंभीर बीमार बच्चों की पहचान (0 से 5 वर्ष) तथा माता/परिवार के सदस्यों को परामर्श देने पर।	रू. 250 प्रति केस
8.	कॉपर-टी/आई.यू.डी. रखवाने के लिए महिलाओं को प्रेरित करना	रू. 100 प्रति केस
9.	चिकित्सिय गर्भपात करवाना (एम.टी.पी.)	रू. 100 प्रति केस
10.	ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस हेतु सामुदायिक लामबद्धता	रू. 50 प्रति मीटिंग
11.	यौन रोगों (आर.टी.आई./एस.टी.आई.) के इलाज हेतु महिलाओं का पंजीकरण	रू. 50 प्रति केस
12.	जन्म/मृत्यु पंजीकरण (जच्चा-मृत्यु/नवजात मृत्यु के अतिरिक्त)	रू. 250 प्रति केस
13.	गर्भ/प्रसूति दौरान/उपरांत जच्चा की मृत्यु तथा नवजात मृत्यु के बारे में प्रथम जानकारी देने पर और सामुदायिक जच्चा/नवजात मृत्यु, निरिक्षण दल की बतौर सदस्य निरिक्षण करने पर	रू. 100 प्रति केस
14.	मानसिक तौर पर चैलिंजड लोगों की पहचान	रू. 100 प्रति केस
15.	कटे होंठ व तालू वाले बच्चों की पहचान	रू. 100 प्रति केस
16.	स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना	रू. 50 प्रति नमूना
17.	प्रशिक्षण कार्यक्रमों से सम्बंधित टी.ए./डी.ए.	रू. 125 प्रति ट्रेनिंग
18.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मासिक मीटिंग	रू. 100 प्रति केस
19.	इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत गंभीर रूप से अनिमियांग्रस्त बच्चों को आई.एफ.ए. गोलियां खिलाने पर	रू. 25 प्रति बच्चा
20.	टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम के तहत डॉट कार्यकर्त्ता	रू. 250 प्रति केस
21.	कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम	रू. 300 प्रति केस
22.	टीकाकरण सेवाएं	रू. 150 प्रति सेशन प्रति आशा

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के प्रमुख कार्य

हमारे देश में बच्चों व महिलाओं के स्वास्थ्य के कल्याण के लिए विश्व में सबसे बड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसे एकीकृत बाल विकास सेवाएं कहा जाता है। इसके अंतर्गत हर गांव में एक आंगनवाड़ी केन्द्र होता है जिसके चलाने की जिम्मेवारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता की होती है। गांव की एक हजार आबादी के पीछे एक आंगनवाड़ी को रखा जाता है। इस कार्यकर्त्ता के निम्नलिखित कार्य होते हैं:

1. 6 साल तक के बच्चे का वजन करना और अगर बच्चे का वजन उसकी उम्र के हिसाब से कम है तो बच्चे के माता-पिता को उसके स्वास्थ्य में सुधार के लिए उचित सलाह देना।
2. हर नये जन्म लेने वाले बच्चे का वजन लेना व उसे रिकार्ड में दर्ज करना।
3. 6 साल से कम उम्र के सभी बच्चों का टीकाकरण करवाना।
4. 6 साल से कम उम्र के सभी बच्चों, बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं व गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषाहार देना।
5. उक्त बच्चों व महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच करवाना।
6. 3 से 5 वर्ष के सभी बच्चों को पूर्व स्कूल शिक्षा प्रदान करना।
7. आंगनवाड़ी केन्द्र में किशोरी शक्ति योजना लागू करना।

खंड 4

सरकार द्वारा चलाये जा रहे प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम

जननी सुरक्षा योजनाः

हमारे देश में होने वाली मां व बाल मृत्यु दर में कमी लाने के लिए जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई थी क्योंकि देश में उच्च मृत्यु दर का एक बड़ा कारण घरों में प्रसव होना है जहां मां व बच्चे को डॉक्टर व अस्पताल की सुविधाएं नहीं मिल पाती। इस योजना के अंतर्गत प्रसव को सरकारी अस्पताल या ऐसी जगह करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जहां प्रसव सबंधित सभी सुविधाएं मिल पाती हैं।

- बी.पी.एल. व एस.सी. परिवारों की वह गर्भवती महिला जो घर पर रह कर प्रसव करवाना चाहती है, उसको सरकार की तरफ से 500 रुपयों की नगद धनराशि मिलेगी। इस धनराशि का भुगतान प्रसव के समय या इसके सात दिन पहले हो जाना चाहिए।
- अगर सरकारी अस्पताल में उक्त परिवारों की महिलाओं का प्रसव होता है तो 1400 रुपया की नगद धनराशि मिलती है। महिला को यहां पैसा दिलवाने की जिम्मेवारी आशा या एएनएम की होती है।

जननी-शिशु सुरक्षा कार्यक्रमः

हमारे देश में प्रतिवर्ष 67,000 महिलाएं प्रसव से सम्बंधित जटिलताओं की वजह से मर जाती हैं क्योकि उन्हें प्रसव के समय डॉक्टरी सहायता नहीं मिल पाती। यह इसलिए होता है क्योंकि यह देखा गया है कि 15% माताएं प्रसव के लिए स्वास्थ्य केन्द्र पर नहीं आ पाती और जो महिलाऐं प्रसव के लिए स्वास्थ्य केन्द्र आती हैं उनमें से कोई भी महिला 48 घंटे से ज्यादा स्वास्थ्य केन्द्र पर नहीं ठहराना चाहती। इसका कारण यह है कि वे प्रसव के बाद होने वाले खर्चे का भार वहन करने में असमर्थ हैं। ऐसे परिवारों की इस मजबूरी को देखते हुए जननी-शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।

यह कार्यक्रम 1 जून 2011 से मेवात जिले में प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान हैं:

- निःशुल्क प्रसव अर्थात प्रसव से सम्बंधित सारा खर्चा सरकार उठाएगी। मां प्रसव के बाद जब तक अस्पताल में ठहरती हैं तब तक उससे कोई खर्चा नहीं लिया जाएगा। सामान्य प्रसव की हालात में 3 दिन तक व अगर बच्चा ऑपरेशन से हुआ है तो उस हालात में एक हफ्ते तक मां से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा।
- इस समय में आवश्यक दवाइयां व खाना भी निःशुल्क मिलेगा।
- इस समय के दौरान अगर मां को खून की जरूरत पड़ती है तो वह भी निःशुल्क ही मिलेगा।
- इस दौरान मां से कोई डाक्टरी फीस भी नहीं ली जायेगी।
- इसी प्रकार इस दौरान बच्चे का ईलाज भी निःशुल्क ही होगा।
- मां व बच्चे के अस्पताल ले जाने व लाने का खर्चा भी सरकार ही वहन करती है।

लाडली योजना

हरियाणा राज्य में 20 अगस्त 2005 से लागू लाडली योजना लागू की गई है।

हमारे देश और विशेषतौर पर हरियाणा में लिंग अनुपात चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की या कहें कि लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या बहुत कम हो गई है। समाज में ऐसी हालात के दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। ऐसी स्थिति का एक मात्र कारण समाज में प्रचलित कन्या भ्रूण हत्या है। मां के गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग का पता लगा कर और अगर वह लड़की हुई तो उसके जन्म से पहले ही उसकी हत्या करवा देना कन्या भ्रूण हत्या कहलाता है।

लाडली योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या की समस्या को हल करना है जिससे समाज में लिंग अनुपात का सकारात्मक संतुलन स्थापित हो सके।

लाडली योजना का मकसद कानून के जरिए लड़कियों के जन्म को प्रोत्साहित करना है व समाज में ऐसी स्थिति पैदा करना जिससे माता-पिता के लिए लड़कियों का पालन पोषण सुलभ हो सके, उनका विवाह करने में भी कोई कठिनाई न हो और लोग कन्याओं की हत्या करने पर मजबूर न हों।

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कायदे–कानून बनाऐं गए हैं:

1. वे परिवार जो हरियाणा के निवासी हैं या जिनके पास हरियाणा का रिहायशी प्रमाण–पत्र है और ऐसे परिवार में अगर इस योजना के लागू होने के बाद अर्थात 20 अगस्त 2005 के बाद दूसरी लड़की पैदा हुई है तो ऐसा परिवार इस योजना के अंतर्गत सरकार से नकद राशी पाने का पात्र है। ऐसा परिवार किसी भी जाति या धर्म से हो सकता है या परिवार में बेटों की संख्या भी कितनी भी हो सकती है।
2. शर्त यह है की दोनों माता–पिता में से कम से कम एक लड़कियों के साथ हरियाणा राज्य में अवश्य रहता हो।
3. दोनों लड़कियों के जन्म का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है।
4. खासबात यह है कि दूसरी लड़की के माता–पिता यदि किसी अन्य स्कीम जैसे कि बालिका समृद्धि योजना के तहत यदि लाभ ले भी रहे हैं तो भी वे लाडली योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
5. माता–पिता को चाहिए कि वे दोनों लड़कियों का उचित टीकाकरण जरूर करवाएं। इस योजना के अंतर्गत राशि प्राप्त करते समय लड़कियों के टीकाकरण का रिकार्ड प्रस्तुत करना होता है।
6. दोनों बहनों का नाम उनकी आयु के अनुसार स्कूल या आंगनवाड़ी में दर्ज होना चाहिए।
7. अगर परिवार में जुड़वां बच्चियां पैदा होती है तो ऐसा परिवार योजना के अंतर्गत लाभ का का पात्र होता है।
8. एक और बात! अगर किसी परिवार में जुड़वां बच्चियां पैदा होती हैं और ऐसे परिवार में पहले से भी एक जीवित बड़ी लड़की है तो ऐसा परिवार तीनों लड़कियों के लिए लाभ का पात्र होता है।
9. लड़कियों के माता पिता आय कर दाता नहीं होने चाहिए।

वित्तीय सहायता

परिवार में दूसरी लड़की के जन्म पर सरकार कुल रूपया 5000/– का लाभ, (रूपया 2500/– प्रति लड़की के हिसाब से वित्तीय सहायता के रूप में) देगी। यह लाभ निम्न प्रकार से दिया जाएगाः

1. योजना के अंतर्गत 20 अगस्त 2005 को या इसके बाद जन्मी बेटी के माता–पिता को रूपया 5000/– प्रति परिवार 5 वर्ष तक दिए जायेंगे।

2. यह राशि दूसरी लड़की के नाम जीवन बीमा निगम में निवेश की जाएगी।
3. दोनों बालिकाओं में से किसी एक की मृत्यु होने की स्थिति में प्रोत्साहन राशि तुरंत प्रभाव से रोक दी जाती है लेकिन इसके बाद माता-पिता को एक और लड़की के जन्म के बाद प्रोत्साहन राशि बंद की गई तिथि से पुनः बहाल कर दी जाती है।
4. जुड़वां बच्चियों के मामले में यह प्रोत्साहन राशि तुरंत प्रभाव से दी जायेगी। पहली किस्त दूसरी बेटी के जन्म पर एक माह के अन्दर जारी कर दी जाएगी।
5. 18 वर्ष से कम आयु में दोनों लड़कियों में से किसी भी लड़की की शादी होने पर बालिका इस योजना के अंतर्गत लाभ की पात्र नहीं होगी।

लाडली योजना से लाभ प्राप्त करने वालों की पहचानः

महिला व बाल विकास विभाग के अंतर्गत चलने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों पर तथा जहां ऐसे केन्द्र नहीं है वहां स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता द्वारा परिवार में लड़कियों के जन्म से सम्बंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं। इस रिकॉर्ड से इस योजना द्वारा लाभान्वित परिवारों की सूची (लिस्ट) तैयार की जाती है।

लाडली योजना से लाभ लेने की प्रक्रियाः

फार्मः इस योजना के अंतर्गत सहायता लेने के लिए एक खास आवेदन पत्र होता है। यह आवेदन पत्र आंगनवाड़ी केन्द्र पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से व बाल-विकास परियोजना कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय से तथा स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन के कार्यालय से मुफ्त में मिलता हैं।

1. दूसरी लड़की के माता-पिता या सरंक्षक को निर्धारित खास आवेदन पत्र भरकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सुपरवाईजर या सम्बंधित स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से बाल विकास परियोजना अधिकारी या जहां आंगनवाड़ी योजना नहीं है वहां सिविल सर्जन के सम्बंधित कार्यक्रम अधिकारी के पास स्वीकृति के लिए जमा करवाने होंगे।
2. फार्म के साथ सक्षम अधिकारी अर्थात रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र लगाएं।
3. ये अधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी को यह केस अपनी सिफारिश के साथ योजना से लाभ की स्वीकृति के लिए भेजेंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी रूपया 5000/- स्वीकृत करने के उपरांत इस राशि को राज्य सरकार द्वारा जीवन बीमा निगम में निवेश कर दिया जाता हैं।
4. जीवन बीमा निगम माता-पिता को निवेश के बारे में पूर्ण विवरण सहित प्रमाण पत्र जारी करेगा।

निवेश की गई राशि के भुगतान हेतु पात्रताः

इस निवेश का परिपक्व मूल्य प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय दूसरी लड़कीः

1. 18 वर्ष की होनी चाहिए
2. अविवाहित होनी चाहिए

निवेश के भुगतान की प्रक्रियाः

लाभ प्राप्त करने के योग्य पात्र अर्थात दूसरी बालिका खास फार्म भरकर कार्यक्रम अधिकारी के पास जमा करवाएगी तथा कार्यक्रम अधिकारी योग्य पात्रता की सुनिश्चितता के बाद मूल निवेश पत्र लाभार्थी को सौंप देगी।

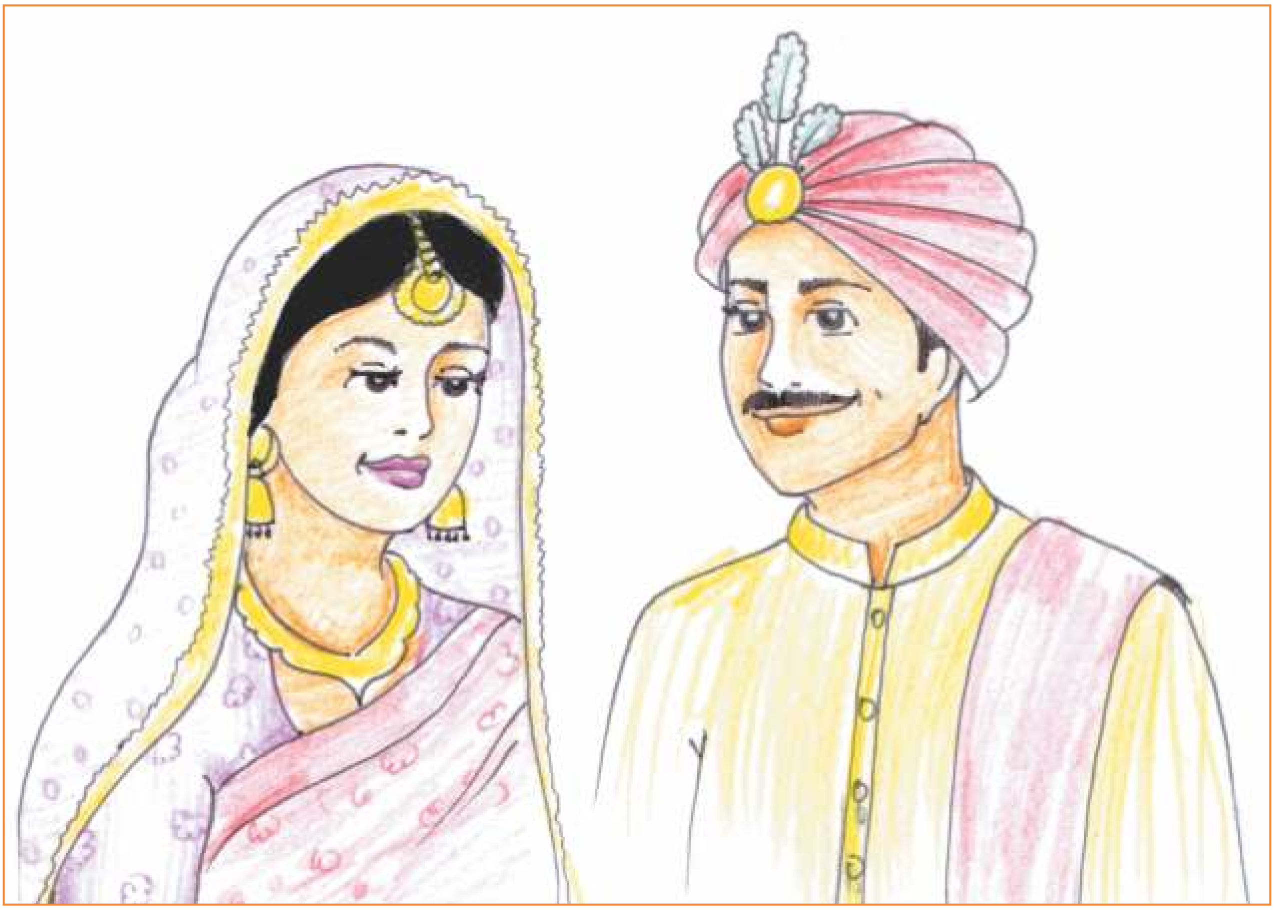

लाडली योजना के अंतर्गत 5000/– रूपया का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

सेवा में: बाल विकास परियोजना अधिकारी

खंड :........................

जिला :........................

विषयः 'लाडली' योजना के अंतर्गत 5000/– रूपया का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

महोदया,

मैंने/मेरी पत्नी/श्रीमती .... ने तिथि .... को दूसरी बेटी को जन्म दिया है। इस बालिका के लिए लाडली योजना के तहत 5000/– रूपया का निवेश किया जाए। इसके लिए विवरण निम्नलिखित है:–

1. आवेदक का नाम (माता/पिता/संरक्षक)	
2. बालिका की माता का नाम	
3. बालिका के पिता का नाम	
4. माता की जन्म तिथि/आयु	
5. पूरा पता 1. वर्तमान पता 2. स्थाई रिहायशी पता (प्रमाण पत्र के साथ सलंग्न करें)	
6. दूसरी बेटी का नाम	
7. दूसरी बेटी की जन्म तिथि	
8. पहली बेटी का नाम	
9. पहली बेटी की जन्म तिथि	
10. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दोनों बेटियों के जन्म प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां	
11. परिवार में नवजात बालिका सहित कुल बच्चे: 1. लड़के 2. लड़की	
12. आवेदक किस वर्ग से सम्बंधित है	एस.सी. बी.सी. अन्य

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दिए गए उक्त सभी तथ्य सही है, अगर इन तथ्यों में किसी प्रकार की कोई विसंगति या झूठ पाया जाता है तो उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवारी लेता हूं तथा मेरे द्वारा दिया गया आवेदन पत्र किसी भी समय रद्द किया जा सकता है और प्राप्त लाभ सरकार को वापिस देने के लिए वचनबद्ध हूं।

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ....
पत्नी श्री ....गांव ....
ब्लॉक ....जिला ....
ने दिनांक .... को दूसरी बेटी को जन्म दिया। इससे पहले भी इनकी एक बेटी जीवित है जिसकी जन्म तिथि .... है। दोनों बेटियों के नाम आंगनवाड़ी केन्द्र/स्कूल में पंजीकृत है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के हस्ताक्षर

सुपरवाईजर द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ....
पत्नी श्री .... ने दिनांक ....
को दूसरी बेटी को जन्म दिया। आवेदन पत्र में दिए गए तथ्य तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा दिए गए तथ्यों की पुष्टि कर ली है तथा यह सत्य पाए गए हैं। यह परिवार लाडली योजना के प्रावधान अनुसार लाभ प्राप्त करने का पात्र है।

सुपरवाईजर का नाम व हस्ताक्षर

सर्कल का नाम

बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र

उक्त दिए गए तथ्यों के मद्धेनज़र इस परिवार में दूसरी बेटी .... पुत्री श्रीमती ....पत्नी .... निवासी ....खंड .... जिला .... के नाम पर 5000/– रूपयों का निवेश 5 वर्ष तक करने की सिफारिश की जाती है। बालिका का नाम योजना लाभपात्र रजिस्टर के क्रम संख्या .... पर पंजीकृत है।

इस परिवार में दोनों बेटियों में से किसी एक की मृत्यु होने पर मैं कार्यक्रम अधिकारी को तुरंत सूचित करूंगी ताकि स्कीम के प्रावधान के अनुसार योजना का लाभ वापिस लिया जा सके।

नामः परियोजना अधिकारी   हस्ताक्षर

बाल विकास खंड का नाम

कार्यक्रम अधिकारी द्वारा स्वीकृति

श्रीमती .... पत्नी .... ने दिनांक .... को दूसरी बेटी को जन्म दिया। उपरोक्त दिए गए तथ्य एवं प्रस्तुत प्रमाण पत्रों के आधार पर .... (दूसरी बेटी का नाम) .... (माता/पिता/संरक्षक का नाम) के माध्यम से पांच वर्ष तक प्रतिवर्ष 5000/– रूपया निवेश करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कार्यक्रम अधिकारी

जिला ....

(कार्यक्रम अधिकारी दूसरी बालिका के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष जीवन बीमा में निवेश करने पर इस आवेदन पत्र में पात्रों की इन्द्राज करके अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगी)

खंड 5

जन्म-मृत्यु पंजीकरण

'जन्म-मृत्यु दर्ज कराओ - पूरा हो फर्ज़ लाभ उठाओ, बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभाओ'

आज के वक्त एक परिवार में हुए जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। पासपोर्ट बनवाने के लिए, सरकार से पेंशन लेने के लिए, किसी भी सरकारी योजना जैसे लाड़ली, विवाह शगुन इत्यादि योजनाओं जिसमें आयु का प्रमाणपत्र देना जरूरी है तथा बच्चे के स्कूल या कॉलेज में प्रवेश के समय, नौकरी लगने के समय तथा वोटर आई.डी. बनवाते समय जन्म प्रमाणपत्र की जरूरत पड़ती है।

अगर आपने अपने बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रेशन उसके जन्म के 21 दिन के अंदर नहीं करवाया है तो आपको अनूगिनत परेशानियां उठानी पड़ सकती है। इस लिए नीचे लिखी बातों पर ध्यान दीजिएः

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1969 एवं हरियाणा जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियमावली 2002 के प्रमुख प्रावधानः-

1. जन्म और मृत्यु की घटना का रजिस्ट्रेशन उसी क्षेत्र के रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है जहां घटना घटित हुई है।
2. रजिस्ट्रेशन घटना के 21 दिनों के अंदर करवाना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन निःशुल्क किया जाता है तथा ऐसा करने पर प्रमाण-पत्र की एक कॉपी भी मुफ्त प्रदान की जाती है।
3. घर में हुई घटनाओं को दर्ज करवाने की जिम्मेवारी परिवार के मुखिया की है।
4. संस्थाओं (जैसे अस्पताल इत्यादि) में हुई घटनाओं को दर्ज करवाने की जिम्मेवारी संस्था के मुखिया की है।
5. जन्म का रजिस्ट्रेशन बच्चे के नाम के बिना भी करवाया जा सकता है और उसका नाम एक वर्ष तक निःशुल्क लिखवाया जा सकता है।

6. सूचना फार्म भरते समय सावधानी बरतनी चाहिए। इसमें विवरण सही एवं पूर्ण होने चाहिए। माता–पिता के नाम, तिथियां आदि विवरण ठीक प्रकार से भरने चाहिए क्योंकि एक बार दर्ज करवाए गए इन्द्राज में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

7. ग्रामीण क्षेत्र में फार्म चौकीदार के अतिरिक्त, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी एवं पंचायत पर भी उपलब्ध होता है। यहां से फार्म लेकर उसे पूर्णरूप से भरकर सम्बंधित स्वास्थ्य कार्यकर्ता को जमा करना चाहिए। चौकीदार आदि से फार्म भरवाना ठीक नहीं है, इसमें गलती होने की संभावना रहती है।

अगर जन्म और मृत्यु की घटना का रजिस्ट्रेशन घटना के 21 दिन के अंदर नहीं कराया है तो क्या करना चाहिएः

एक परिवार में हुए जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रेशन अगर किसी कारणवश नहीं करवाया गया है तो इसे देर से करवाने का प्रावधान भी है। यदि आप इन घटनाओं को दर्ज करवाना चाहतें हों तो जहां यह जन्म/मृत्यु की घटना हुई थी, उस क्षेत्र के सम्बंधित रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) से सम्पर्क कर सकते हैं। इस काम के लिए आपको निम्नलिखित कागजात तैयार करवाकर उनको देने होंगेः

1. जन्म/मृत्यु का पूरी तरह साफ–साफ भरा हुआ सूचना फार्म
2. निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र (एफिडेविट)
3. घटना का तीन वर्षों का अनूउपलब्धता प्रमाण पत्र
4. जन्म/मृत्यु तिथि के साक्ष्य हेतु प्रमाण
5. जन्म के मामले में सभी बच्चों के जन्म तिथि प्रमाण
6. परिवार का सम्बंधित वर्ष का रिहायशी प्रमाण
7. सम्बंधित घटना के वक्त मौजूद रहे दो व्यक्तियों की गवाही।

रजिस्ट्रार अपने स्तर पर घटना की सत्यता की जांच करेंगे और सही पाए जाने पर जिला रजिस्ट्रार, जन्म/मृत्यु एवं सिविल सर्जन को अग्रसारित करेंगे। जिले के अधिकारी से निर्देश प्राप्त होने पर आपसे निम्नलिखित निर्धारित शुल्क लेकर रजिस्ट्रार द्वारा घटना का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।

1. एक वर्ष तक विलम्ब शुल्क– पांच रूपये

2. एक वर्ष से अधिक वर्षों तक विलम्ब शुल्क– दस रूपये

रजिस्ट्रेशन के बाद आप दस रूपये प्रति प्रमाण पत्र के हिसाब से फीस देकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

भविष्य में इन कठनाईयों से बचने के लिए परिवार में हुए प्रत्येक जीवित/मृत जन्म एवं मृत्यु को 21 दिनों के अंदर अवश्य दर्ज करवाए और प्रमाण पत्र की एक प्रति मुफ्त प्राप्त करें। ऐसा कानूनन ज़रूरी भी है। जन्म की घटना बच्चे के नाम बिना भी दर्ज करवाई जा सकती है। ऐसे मामले में बच्चे का नाम एक वर्ष तक बिना शुल्क के लिखवाया जा सकता है। एक वर्ष से अधिक होने पर विलम्ब शुल्क पांच रूपये देने होंगे।

इस विषय में अधिक जानकारी के लिए निम्न अधिकारीयों से सम्पर्क कर सकते हैंः

1. चीफ रजिस्ट्रार, जन्म–मृत्यु एवं महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, हरियाणा, पंचकुला।
   फोन नम्बरः 0172–2504549, 2560156

2. जिला रजिस्ट्रार, जन्म–मृत्यु एवं सिविल सर्जन, हरियाणा राज्य

खंड 6

स्वास्थ्य सम्बन्धी कुछ जानकारियाँ

प्रसवपूर्व देखभाल

गर्भावस्था के दौरान माँ की उचित देखभाल बहुत ज़रूरी होती है। ज्यादातर परिवार इसे ज़रूरी नहीं समझते हैं। इस कारण गर्भावस्था और प्रसव के समय कई गंभीर समस्याए पैदा हो जाती हैं और मां एवं उसके होने वाले बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। गर्भधारण से शुरू होकर प्रसव दर्द शुरू होने तक के समय को प्रसवपूर्व समय कहते हैं और प्रसवपूर्व देखभाल का मतलब हैः 1. प्रसवपूर्व समय के बीच समय समय पर उचित जांच 2. स्वास्थ्य कार्यकर्ता से सलाह 3. कुछ सावधानियां जो मां और बच्चे का स्वास्थ्य सुधारने तथा गर्भधारण के कारण होने वाली मृत्यु और बच्चे की विकलांगता से बचाव करती हैं।

प्रसवपूर्व देखभाल की कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैः

प्रसवपूर्व जांचः

मां को प्रसवपूर्व जांच तीन बार करवानी चाहिए जिनका समय इस प्रकार है

क्रम स.	समय
पहली जांच	12 सप्ताह पर या तीसरे माह में अथवा गर्भावस्था के निश्चित होते ही
दूसरी जांच	20 सप्ताह पर या पांचवे माह में
तीसरी जांच	32 सप्ताह पर या आठवे माह में

इन प्रत्येक जांच में मां को नीचे लिखी बातो की जांच करवानी चाहिएः

1. वजन
2. एनीमिया
3. शरीर में सूजन
4 ब्लड प्रेशर
5. हिमोग्लोबिन
6. डायबिटीज़
7. बच्चे के दिल की धड़कन

टीकाकरण

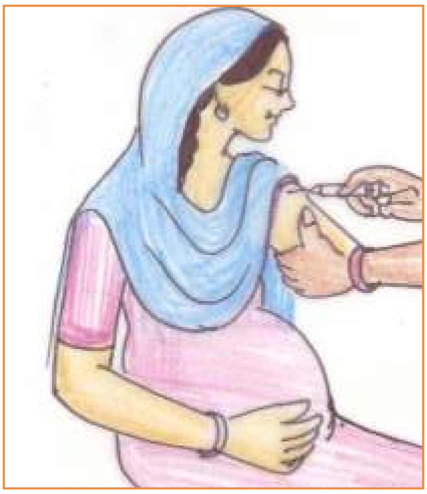

सामान्य परिस्थिति में गर्भवती मां को एक माह के अन्तराल पर टेटनस के दो टीके लगवाने चाहिए। यदि पहला बच्चा तीन साल से छोटा है या मां दो साल के अन्दर फिर से गर्भवती होती है तो सिर्फ टेटनस का एक ही टीका लगवाना चाहिए।

पोषाहारः

गर्भवती मां को अतिरिक्त भोजन व ऊर्जा की आवश्यकता सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि पेट में पल रहे बच्चे के लिए तथा भविष्य में बच्चे के स्तनपान के लिए भी होती है। गर्भवती मां को सामान्य स्थिति की तुलना में एक बार अतिरिक्त भोजन लेना चाहिए। गर्भवती मां को पौष्टिक आहार जिसमें आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन आधिक मात्रा में हो, लेना चाहिए। मतलब उसे हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, दूध, अंड़ा, मछली, मांस आदि खूब खाना चाहिए।

गर्भवती मां को कम से कम 90 दिन तक रोज आयरन की एक गोली खानी चाहिए। यदि मां के शरीर में खून की कमी है तो उसे 100 दिन तक रोज आयरन की दो गोलियॉ लेनी चाहिए।

कुछ ध्यान रखने योग्य बातेंः

1. गर्भवती मां को जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य उप केन्द्र में एएनएम के पास अपना पंजीकरण कराना चाहिए।
2. गर्भवती मां को दिन में कम से कम दो घंटे आराम करना चाहिए तथा भारी वजन नहीं उठाना चाहिए।
3. गर्भवती मां को आयोडीन मिश्रित नमक खाना चाहिए।
4. गर्भवती मां को धुम्रपान व शराब से दूर चाहिए।

ध्यान रहेः आयरन की गोली खाने के बाद पाखाना काले रंग का होता है।

कुछ जोखिमभरी परिस्थितियां:

नीचे लिखी गई परिस्थितियों में गर्भवती मां को तुरन्त नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर जांच के लिए ले जाना चाहिए:

1. रक्तस्राव होने पर
2. पानी निकलने पर
3. गर्भ का हिलना–डुलना बन्द होने पर
4. एक माह में तीन किलो से अधिक वजन बढ़ने पर
5. चेहरे और पैरो में आत्यधिक सूजन बढ़ने पर
6. सर और पेट में बहुत तेज दर्द होने पर
7. बहुत अधिक तेज बुखार होने पर
8. दौरा पड़ने पर

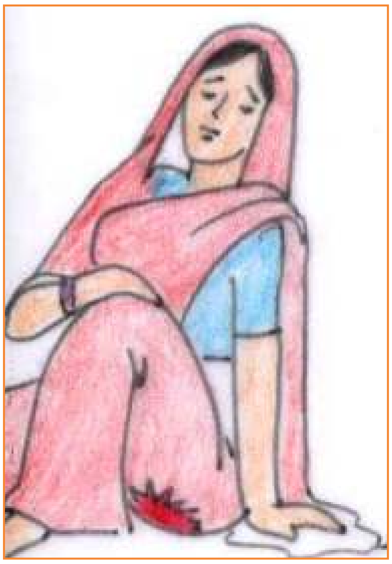

टीकाकरण तालिकाः

हमारे देश में ऐसी 7 प्रमुख बीमारियां हैं जो बाल मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। खुशी की बात यह है कि इन बीमारियों को होने से रोका जा सकता है। इन 7 बीमारियों के टीके अगर ठीक समय पर लगा दिए जाएं जो बच्चों में ये बीमारियां नहीं हो सकती। सरकार की तरफ से ये टीके मुफ्त लगाए जाते हैं। जिस स्कीम के अंतर्गत ये टीके लगाये जाते हैं उसे टीकाकरण कहते हैंः

जन्म के तुरन्त बाद बी.सी.जी. का टीका लगवाएं,
टी.बी. से बचाएं

डेढ, ढाई और साढे तीन माह में डी.पी.टी. का
टीका लगवाएं, और पोलियो की खुराक पिलाएं,
गलघोटू, काली खांसी, टेटनेस और पोलियो से बचाएं

जन्म के तुरन्त बाद, डेढ, ढाई और साढे तीन माह में
हैपेटाइटिस-बी. का टीका लगवाएं,
लीवर सिरोसिस/कैंसर से बचाएं

नवाँ महीना खत्म होते ही खसरे का टीका लगवाएं
और विटामिन ए की खुराक पिलाएं, खसरा और
रतौंधी से बचाएं

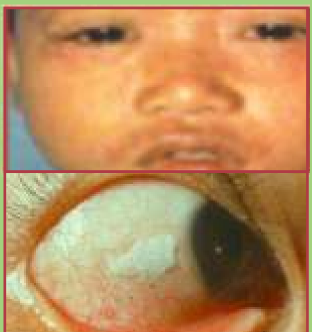

दस्त व मलेरिया

गांव में फैली हुए गन्दगी के कारण मुख्य रूप से दो बीमारियां होती हैं एक दस्त व दूसरी मलेरिया। इन दोनों बीमारियों का थोड़ा ज्ञान व इनसे बचाव की जानकारी गांव स्वास्थ्य समिति तथा गांव के लोगों के लिए बहुत आवश्यक है।

दस्त (डायरिया)

लगातार पानी जैसी पतली टट्टी आना दस्त (डायरिया) कहलाता है।

दस्त के मुख्य कारण

दस्त हमारे शरीर में जीवाणुओं के घुसने के कारण होता है। ये जीवाणु मल में होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि खुली आंखों से दिखाई नहीं देते। ये जीवाणु हमारे शरीर में तब प्रवेश करते हैं जब हमः

1. दूषित खाना खाते हैं – ऐसा खाना जो ढका न हो और जिस पर मक्खियां बैठी हों क्योंकि मक्खियां मल पर बैठती हैं और उन पर जीवाणु चिपक जाते हैं।
2. दूषित पानी पीते हैं – बारिश का पानी खुले में पड़े मल को बहा कर खुले कुओं एवं तालाबों में मिला देता है। जिससे पानी दूषित हो जाता है।
3. मलत्याग के बाद हाथ नहीं धोने और बिना हाथ धोए खाना खाने से हाथों में लगे जीवाणु शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं।
4. खाना बनाने या परोसने से पहले हाथ नहीं धोते – हाथों में लगे जीवाणु खाने के जरिए शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं।
5. तालाबों में नहाते समय भी गंदा पानी हमारे मुंह में चला जाता है।

दस्त होने से बचने के लिए दो बातों पर अमल करना बहुत महत्वपूर्ण है : खाना खाने से पहले और मलत्याग के बाद हाथ अच्छी तरह से धोना

दस्त का इलाज

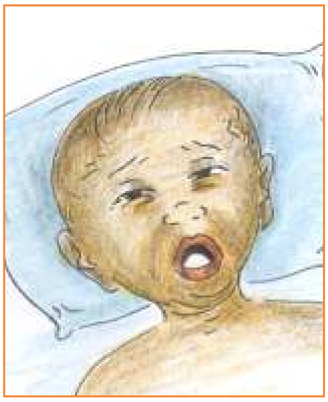

1. दस्त होने से शरीर में पानी व पौषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसलिए दस्त के रोगी को खूब पेय पदार्थ जैसे छाछ, कम पत्ती की चाय, नीबू पानी पिलाना चाहिए, सादा साफ पानी भी पिलाया जा सकता है।
2. ओ.आर.एस. का घोल पिलाएं।
3. नमक चीनी का घोल घर पर बना कर पिलाएं।

डाक्टर के पास कब ले जाएं

आमतौर पर दस्त के रोगी को डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन अगर

1. दस्त के साथ आंव या खून है
2. दस्त के साथ बुखार है
3. रोगी को बार-बार उल्टी आ रही है
4. रोगी बहुत कमजोरी महसूस कर रहा है

तो दस्त के रोगी को डॉक्टर के पास ले जाएं।

गांव के लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर दस्त का इलाज समय रहते नहीं किया जाता है तो रोगी की मौत भी हो सकती है।

नमक चीनी का घोल बनाने का तरीकाः एक ग्लास (200 मि.लि.) साफ पानी में एक चम्मच चीनी व एक चुटकी नमक डाल कर मिला लें! घोल तैयार है।

दस्त से बचाव

इसका अर्थ है कि दस्त हो ही नहीं! इसके लिए क्या किया जाना चाहिए?

1. खाना खाने से पहले और मलत्याग के बाद हाथ साबुन या राख से अच्छी तरह से धोना।
2. खाने-पीने की चीजों को ढ़क कर रखना।
3. खुले में मलत्याग नहीं करना।

मलेरिया

साफ-सफाई की कमी से होने वाली प्रमुख बिमारियों में से एक मलेरिया भी है। मलेरिया से हर साल दुनियां में लगभग 10 लाख लोगों की मौत हो जाती है। यह रोग एक परजीवी के खून में घुस जाने से होता है। जब मच्छर एक ऐसे व्यक्ति को काटता है जिसके शरीर में यह परजीवी है तो व्यक्ति के खून के साथ उस परजीवी को भी चूस लेता है। दूसरे व्यक्ति को काटते समय यह मच्छर इस परजीवि को उसके शरीर में छोड़ देता है जिससे उस व्यक्ति के खून की लाल रंग की कोशिकाएं नष्ट होने लगती है और इससे मलेरिया रोग हो जाता है।

मलेरिया के मुख्य लक्षण

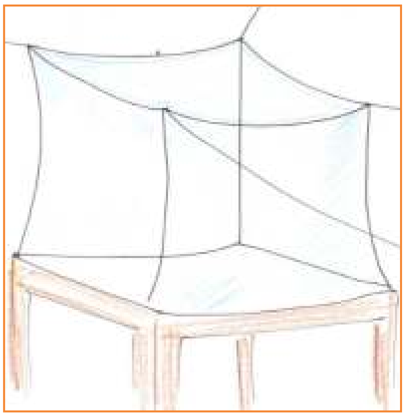

1. कंपकपी लगती है और सर में दर्द होता है।
2. कंपकपी के बाद बुखार आता है।
3. पसीना आता है।
4. बुखार उतर जाता है।
5. रोगी कमजोरी महसूस करता है।

मलेरिया से बचाव

1. मलेरिया से बचने का एकमात्र उपाय है मच्छरों की पैदावार रोकना और मच्छर के काटने से खुद को बचाना है।
2. घर के आस-पास पानी के गढड्ें न बनने दें।
3. ठहरे हुए पानी में समय-समय पर मिटटी का तेल डालें जिससे मच्छर उसमे अंडे न दे सके।
4. रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें।

चर्चा बिन्दु

गांव स्वास्थ्य व स्वच्छता कमेटी या इस सुचना पुस्तिका से सम्बन्धित किसी भी जानकारी के लिए निम्नलिखित पत्ते पर सम्पर्क करें:

इन्स्टीट्यूट ऑफ रूरल रिसर्च एण्ड ड्वलपमेन्ट (एस.एम.सहगल फाउंडेशन)

प्लॉट न. 34, सेक्टर–44, इन्स्टीट्यूशनल ऐरिया, गुड़गांव–122003, हरियाणा

फोन न.: 0124–4744100, ई–मेल: smsf@irrad.org

वेबसाइट: www.irrad.org